ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सर्वे को लेकर भ्रामक जानकारी दी

■ आयोग ने आमजन को सर्वे प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना आवश्यक समझा है

सीकर (निसं)। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, जयपुर के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संचालित किए जा रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) राजनीतिक प्रतिनिधित्व सर्वे, उपलब्ध आंकड़ों एवं अनुशंसा रिपोर्ट के संबंध में आमजन में प्रसारित की जा रही भ्रामक जानकारियों पर आयोग ने तथ्यात्मक एवं वास्तविक स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि सर्वे की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया को लेकर कुछ आधारहीन एवं भ्रामक सूचनाएं प्रसारित होने की जानकारी आयोग को प्राप्त हुई है। इन सूचनाओं के माध्यम से आमजन में अनावश्यक भ्रम एवं आशंकाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आयोग द्वारा अपनाई जा रही सर्वे प्रक्रिया पूर्णतः विश्वसनीय, वैज्ञानिक एवं पारदर्शी है। इसलिए आयोग ने आमजन को सर्वे प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना आवश्यक समझा है।

उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए केवल अधिकृत प्रगणकों द्वारा ही डेटा फीड किया जा रहा है। आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि डेटा प्रविष्टि केवल अधिकृत प्रगणकों के माध्यम से ही की जाए। प्रगणकों को अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची तथा ओबीसी की अधिसूचित जातियों की सूची साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में सही एवं प्रमाणित जानकारी दर्ज की जा सके।

उन्होंने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध सिटीजन विकल्प आम नागरिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से डेटा दर्ज करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह केवल तकनीकी एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत रखा गया है। बड़ी संख्या में प्रगणकों की नियुक्ति, उनकी ड्यूटी में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में बिना किसी अनावश्यक विलंब के समयबद्ध ढंग से सर्वे पूर्ण कर अनुशंसा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह वैकल्पिक तकनीकी व्यवस्था अपनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश प्रगणकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं एसएसओ आईडी के अतिरिक्त किसी अनधिकृत मोबाइल नंबर से डेटा सिस्टम में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो उपलब्ध तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार उसका परीक्षण (फिल्टरिंग) कर उसे हटाया जा सकेगा। साथ ही, एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रमाणित एवं वैध डेटा ही आयोग के अंतिम डाटाबेस में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार केवल अधिकृत प्रगणकों द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित जानकारी ही अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वे कार्य के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा प्रगणकों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है तथा उन्हें सर्वे की संपूर्ण प्रक्रिया से भली-भांति अवगत कराया गया है। राजधारा सर्वे ऐप के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सर्वे कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

कार्यालय नगर पालिका सिंघाना

(कार्यालय पता-पुराने कार्ट के सामने वार्ड नम्बर 10 सिंघाना)

E-Mail:-singhana.jaipur@gmail.com

क्रमांकः न0पा0सि0/2026/1183 दिनांकः- 13.07.2026

आपत्ति सुचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सिंघाना में शहरी सेवा शिविर 2026 में निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क एवं स्टेट ग्रांट के आवेदन प्रस्तुत किये है। उपरोक्त संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / एतराज हो तो 07 दिवस मे सप्रमाण आपत्ति प्रस्तुत करे। निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर इकतरफा कार्यवाही की जावेगी। किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

क्र. स.	आवेदक का नाम पिता/ पति के नाम सहित	पता	पट्टे का प्रकार	प्रकरण	क्षेत्रफल
1	मुकेश कुमार / दुर्गाप्रसाद	वार्ड न. 18 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	68.10 Sq.M
2	सरोज देवी / राजेश कुमार	वार्ड न.19 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	151.68 Sq.M
3	रमेश / तेजाराम	वार्ड न.18 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	51.95 Sq.M
4	रूड़मल नायक / मागूराम	वार्ड न. 10 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	158.51 Sq.M
5	जगदीश प्रसाद / धन्नाराम	वार्ड न. 18 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	49.56 Sq.M
6	अनिता बड़गुर्जर / प्रमेश्वर लाल बड़गुर्जर	खातियो का मौहल्ला सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	299.59 Sq.M
7	राकेश कुमार / दुर्गाराम	वार्ड न. 19 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	68.10 Sq.M
8	माया/अशोक	वार्ड न. 18 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	73.97 Sq.M
9	सजना देवी/धर्मपाल	वार्ड न. 18 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	200.06 Sq.M
10	श्यामसुन्दर अग्रवाल / रामवतार अग्रवाल	वार्ड न. 12 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	304.61 Sq.M
11	नन्दलाल / जगनलाल	वार्ड न. 18 सिंघाना	आवासीय	स्टेटग्रान्ट	67.12 Sq.M

यह सुचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13.07.2026 को जारी की गयी ।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सिंघाना

केशवानन्द में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का हुआ भव्य उद्घाटन

सीकर (निसं)। एन एच-52 स्थित स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान में शुक्रवार सायंकाल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित केशवानन्द इंडोर स्टेडियम का भव्य उद्घाटन समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा गणमान्य अतिथियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों ने फीता काटकर कर इंडोर स्टेडियम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। संस्थान निदेशक रामनिवास ढाका ने बताया कि नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, शतरंज, कैरम बोड सहित विभिन्न इंडोर खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। यह इंडोर स्टेडियम आधुनिक खेल अवसंरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सहित विभिन्न इंडोर खेलों की विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही खिलाड़ियों के शारीरिक विकास और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आधुनिक उपकरणों से युक्त जिम्नेजियम भी स्थापित किया गया है। संस्थान निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त यह इंडोर स्टेडियम विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को नई दिशा और बेहतर अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों का संतुलित विकास ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है।

उमाशंकर बने थानाधिकारी, चंद्रभान को साइबर क्राइम की कमान

झुंझुनूं (निसं)। जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से झुंझुनूं पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर (आईपीएस) ने जिले के 18 में से 8 पुलिस थानों के प्रभारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस बदलाव के तहत कई महत्वपूर्ण थानों पर नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस महकमे में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जारी आदेशों के अनुसार विमला बुडानिया को पुलिस लाइन के संचित निरीक्षक पद से हटाकर सदर थाना का नया थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं उमाशंकर को सदर थाने से स्थानांतरित कर बिसाऊ थाना की कमान सौंपी गई है। इसी क्रम में सूरजगढ़ थानाधिकारी चंद्रभान को नई जिम्मेदारी देते हुए साइबर क्राइम थाना का प्रभारी बनाया गया है। वहीं दूसरे जिले से स्थानांतरित होकर आए सीआई रामसिंह यादव को सूरजगढ़ थाना का नया थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। लक्ष्मीचंद को चिड़ावा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने विनोद सामरिया का स्थान लिया है। इसके अलावा जयप्रकाश तंवर, जिन्हें पूर्व में कोतवाली से गोठड़ा थाना भेजा गया था, अब उन्हें मुकुंदगढ़ थाना का थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सीआई प्रेमप्रकाश को गोठड़ा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। पुलिस विभाग में हुए इस व्यापक फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों ने नई जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी हैं।

भारतीय वायुसेना के जवानों का अभिनंदन किया

चूरू (कासं)। सुभाष चौक पर रविवार देर शाम सांस वेलफेयर सोसाइटी चूरू की ओर से भारतीय वायुसेना के जवान सार्जेंट मनोज प्रजापत और सार्जेंट सावंताराम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जवाहर नवोदय विद्यालय चूरू के पूर्व छात्र संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवोदयन साथियों और गणमान्य नागरिकों ने दोनों जवानों का साफा, माला और प्रतीक चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया। वक्ताओं ने वायुसेना में उनके उत्कृष्ट सेवाकाल, राष्ट्र सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर खेमचंद इंदलिया, विक्रम सिंह शेखावत, डॉ. श्रीराम बुंदेला, डॉ. अरविंद सैनी सहित अनेक लोक उपस्थित थे।

छात्रों का विद्यालय के गेट पर प्रदर्शन

नोहर (निसं)। तहसील के गांव अरडकी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के शिक्षक रवि प्रकाश का स्थानांतरण किए जाने पर विद्यार्थियों में भारी रोष व्याप्त हो गया।

छात्रों व छात्राओं ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़कर धरना लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रशासन और उच्च अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र-छात्राओं ने स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर सीबीओ विनोद कुमार बेनीवाल और महेंद्र प्रताप शर्मा पहुंचे। उन्होंने नाराज छात्रों और अभिभावकों से समझाइश का प्रयास किया।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन

मु.नं.170/2026/1338 दिनांकः26.5.26

नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती निरज कव्या पत्नी रिछपाल सिंह चारण डी 122 अग्रसेन नगर चुरू ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अंतर्गत दिव्या ज्योति सेवा संस्थान डी-105 अग्रसेन नगर चुरू के संबंध में जांच किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।
अतएव अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्ति यदि कोई हो, प्रस्तुत करे।
और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई आपत्तियों प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निष्कर्ष किया जावेगा तथा जांच ठासित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।
आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।
प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27.07.2026 निश्चित है।

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग बीकानेर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन

मु.नं.190/2026/1512 दिनांकः18/6/26

नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि सीमा कंवर पुत्री श्री रघुवीर सिंह निवासी चारण छात्रावास के पास भालेरी रोड जिला चुरू ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अंतर्गत शेखावाटी जनकल्याण संस्थान जिला चुरू के संबंध में जांच किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।
अतएव अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्ति यदि कोई हो, प्रस्तुत करे।
और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई आपत्तियों प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निष्कर्ष किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निर्णित अभिलिखित किया जायेगा।
आज दिनांक 15.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।
प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18.08.2026 निश्चित है।

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग बीकानेर

स्थानांतरण नीति के विरोध में शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

रतनगढ़ (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा रतनगढ़ ने ब्लॉक अध्यक्ष भोजराज शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रामचंद्र ऐचरा, महेंद्र सिंह शेखावत, शुभकरण नैण, चौथमल चीनिया, बजरंग बिस्सू, बाबूलाल मुंदलिया, मुकेश सैनी, सतीश पुरोहित व रमेश महला ने स्थानांतरण नीति को शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के हितों के खिलाफ बताते हुए तत्काल निरस्त करने तथा पारदर्शी नीति लागू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी सर्वे में लगे प्रगणकों को कार्यालय समय में शिथिलता देने की भी मांग की। ज्ञापन के दौरान सुरेश जाट, सोमप्रकाश जोशी, रामनिवास, भंवरलाल जाट सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

संपर्क पोर्टल प्रकरणों को समयबद्ध करने के निर्देश

सीकर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों, हरियालो राजस्थान अभियान, ओबीसी सर्वे, जनगणना-2027 की तैयारियों एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा ने निर्देश दिए कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज सभी प्रकरणों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि में निरंतर सुधार लाया जाए। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्यान, श्रम, खान, आबकारी तथा आरएसआरडीसी विभागों के 45 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने तथा आगामी समीक्षा बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को समान नागरिकता संहिता से संबंधित क्यूआर कोड का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा के दौरान सभी विभागों को नर्सरियों से पौधे प्राप्त कर अधिकाधिक पौधारोपण करने तथा पौधों की सुरक्षा एवं नियमित सिंचाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपवन संरक्षक दीपक कुमार ने बताया कि जिले में 31 लाख 34 हजार 941 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 1 लाख 34 हजार 194 पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों को एंटी-लार्वा गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा शिक्षा विभाग को प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों की प्रार्थना सभा में मच्छरजनित रोगों से बचाव एवं जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित कराने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मीणा ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान कुसुम-सी, लाडो प्रोत्साहन योजना तथा कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ.राकेश कुमार मीणा ने पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए रसीदपुरा में प्याज प्रसंस्करण (पोस्ट हार्वेस्ट) यूनिट स्थापित करने तथा कोल्ड स्टोरेज विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। जनगणना-2027 के लिए 15 जुलाई से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बेदखली सूचना मैं महेन्द्र सिंह उम्र 69 साल पुत्र नोरंग राम जाति थाणक निवासी हमीरवास छोटा तहसील राजगढ जिला चूरू का हूँ जो निम्न कथन शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :- 1. यह कि नरेश कुमार मेरा पुत्र है। मेरा उक्त पुत्र व उसकी पत्नी बनिता आवारा व गलत प्रवृति के लोगो की संगत में रहते हैं, मेरे व मेरे परिवार के द्वारा समझाने पर नहीं मान रहे हैं, इसलिए मेरे उक्त पुत्र नरेश कुमार व पुत्रवधु बनिता को मैंने व मेरे परिवार ने मिलकर आज दिनांक 13.07.2026 को मेरी व मेरे परिवार की सम्पूर्ण चल व अचल जायदाद व सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, मेरे उक्त पुत्र व उसकी पत्नी का मेरी व मेरे परिवार की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति व जायदाद में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। आज के बाद मेरे उक्त पुत्र व उसकी पत्नी के द्वारा किये जाने वाले किसी प्रकार के कोई लेन-देन, कोई घटना, कोई आपराधिक गतिविधि, या अन्य कोई गलत कार्य करने पर मेरा उक्त पुत्र व उसकी पत्नी स्वयं जिम्मेवार होगे, मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य जिम्मेवार नहीं होंगे। हमारे घर व परिवार से मेरे उक्त पुत्र व उसकी पत्नी का कोई लेना देना नहीं रहा है। आज के बाद मेरे उक्त पुत्र व उसकी पत्नी के संबंध में मेरे व मेरे परिवार की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैं सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि सूचित रहे।

शपथग्रहिता -महेन्द्र सिंह

न्यायालय सिविल न्यायाधीश, चूरू (राज.)

प्रकरण संख्या-39 वर्ष-2025 सुनवाई तिथि-13.8.26

सुरेन्द्र पुरोहित विरूद्ध राजस्थान राज्य आदि

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादी सुरेन्द्र पुरोहित पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी लाल घंटाघर के पास, चूरू ने उप पंजीयक चूरू कार्यालय में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 29.12.1992 में नाम की त्रुटि को शुद्ध करवाने हेतु एक घोषणात्मक वाद इस न्यायालय में संस्थित किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 13.8.26 को निश्चित की गई है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज हो अथवा अपना पक्ष रखना चाहे तो उक्त नियत तिथि को प्रातः 10:30 बजे स्वंय अथवा अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें कि क्यों न वादी का वाद स्वीकार किया जाये। यदि उक्त तिथि को कोई आक्षेप नहीं आया तो वाद की सुनवाई कर उसका निपटारा किया जायेगा।
यह आज्ञा तारीख 4.7.26 को न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

मोहर अदालत

आज्ञा से-रीडर
न्यायालय सिविल न्यायाधीश
चूरू (राज.)